

13.3.20

संख्या

पत्रावली पेशा वारी एवं वकील वारी  
उपस्थित ही वारी द्वारा साक्ष्य लेक  
शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। शक्ति कावली  
हो। जिहा सोल रही।

प्रथम। स प्रथम 7 A. डालक गध  
बहल विहार अधिवक्ता वारी लुनी  
गयी वकील वारी डाल कथन किये  
कि वारी ही शैलेन्द्र कुमार ही बचपन  
में वारी को उसके डाल का एक राज्य  
बोपले के लया उन्को ही इकि डम  
का वारी को ही भी पालक वारी  
का नाम राज्य रिकार्ड के अलावा  
बकाया राष्ट्रीय नमोविक र्थ चन्द्रमान  
ही दर्ज ही इस प्रकार शैलेन्द्र तथा  
चन्द्रमान एक ही व्यक्ति ही उपर  
वारी को लुना गया। वारी का  
कथन है, कि बचपन में मैं

<p>सारीक सुपम</p>	<p>सुपम या कारीगारी या उपविभागका नाम</p>	<p>संख्या व सारीक अवकाश जी इस सुपम की सारीक में जारी हुए</p>
	<p>दादाजी मुंडा बापू अर्थात श्री मेरी ककी राजेश नाम से अर्थात श्री की ककीनी राजेश की। उक्त समय में दादा था। मंगल पत्र के दस्तावेज न अथवा साफादी रिकार्ड में मेरा नाम अर्थात दादा का नाम ही राजेश की में ही है। बाकी एवं ककीनी बादी को कुल आफ पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बादी डाटा खस के समय फरक के साथ प्रदर्शित-1 अफर अर्थात ग्रास जुलमी 2014-77 जाला नं. 1111 प्रदर्शित-1, नरक रजिस्टर्ड अथवा प्रदर्शित-2, दायाप्रति फौर पत्रावली नं. HRR/1687847 आरी रि. 15.1.2011 विधान अथवा रामगोपमवी प्रदर्शित-3, दायाप्रति आधा नं. नम्बर 362934780059 प्रदर्शित-4, माध्यमिक शिक्षा बीर राजस्थान, माध्यमिक परीक्षा 2001 रोल नं. 1783846 श्री अंक लायिका प्रदर्शित 5A, अथवा विवास अर्थात पत्र सन 2001, आरी रि. 5.1.01, उपविभाग मनिस्त्र राजमठवी प्रदर्शित-6A, दायाप्रति राशन कार्ड नं. 00524 ग्रास पंचायत जुलमी प्रदर्शित-6A. अर्थात किये गये श्री साथ ही दायाप्रति आली अर्थात फरक अर्थात प रि. 4.1.01 आरी डाटा लक्ष्मीनारा रामगोपमवी प्रदर्शित 7A. अर्थात किये रस अर्थात अथवा अर्थात लैला है, कि राजस्थान अभिलेख, दाया अथवा</p>	

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्रवाई का समय इतिहास जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुआ

के अलावा बकाया दस्तावेज में वारी  
का नाम चन्द्रमान दर्ज है वारी शपथ  
सहित स्वीकार करता है, कि उसका  
नाम सही रूप दिया जाता है, और  
कोई आपत्ति उत्पन्न करता है या  
यह उसकी जिम्मेदारी होगी।

उक्त के गुणावगुण पर  
सामग्री विन्दा किया जाद वारी  
अंशतः स्वीकार किया जाना उचित  
प्रतीत होता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर  
जाद वारी अंशतः स्वीकार किया जाकर  
यह आदेश दिया जाता है, कि ग्राम खुल्मी  
की ग्राम रकम नं० 3834/1136, 3835  
1139  
कितना 2 कबा 0.29 है पर नाम राजेन्द्र  
कुमार के लिये पर राजेन्द्र कुमार उर्फ  
चन्द्रमान दर्ज किया जावे बकाया -  
अंशतः समाप्त रहेंगी लक्ष्मण डिडी  
मुक्ति हो।

पदावली कोसठ कुमार लोकत दारिद्र्य  
रहा हो।

निर्णय आद दि. 13.3.2020 के  
में आद दिनांक आद विद्वान्नामाम  
में सुनाया गया।

(चिमनलाल श्रीवा)

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

**अंतिम बिकरी व मुकद्दमे खसलनाई**

(सी. प्रो. को. को. 2-1, कानून विभाग)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'F'-1)

उपाखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी  
चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

चन्द्रमान साफा  
राज्य नंबर 88-89 R.T. Act 1955  
मुकद्दमा नं. 38 दिनांक 2019

यदि मुकद्दमा आज कागजे इतिहास करी कानून चिमनल मीठा (R.A.S.)  
मिनकानिव मुद्दे व पेटोनाल साफा  
बिकरी श्री चंदन गुला एस.

मिनकानिव मुद्दालाह पैग होकर, हुकम दिया जाता है व बिकरी हो जाती है कि  
वाद वादी अंशतः खीकाट किया जाऊत यह आदेश दिये जाते हैं, कि  
ग्राम जुल्मी के खत नं. 3834/1136, 3835/1139 फिला 2 कबा 0.29 हे०  
पर राजेन्द्र कुमार के ल्यान पर राजेन्द्र कुमार उर्फ चन्द्रमान दर्ज किया  
जावे।

बीज  मुवाजग  बाबत   
खर्चा इस मुकद्दमे के मय मुद व सरह  कीसदी सालाना आज की तारीख  
से तारीख बमूलयाबी तक  को अदा करे।  
बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 03 2020  
को जारी की गई।  
महर

दस्तखत  
आखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी  
13/12/20

मुद्दे	रकबा	पं.	मुद्दालाह	रकबा	पं.
स्टाम्प बर्जी वा	2	-	स्टाम्प वकालतनामा	....	
स्टाम्प वकालतनामा	1	-	खाम्प बर्जी	....	
स्टाम्प बजह सबूत			महंताना वकील पर	....	
महंताना वकील			खर्चा गवाहान	....	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	....	
फीस कमिश्नर			बाबत इजरा र हु कयनामा	....	
बाबत इजराय हु कयनामा	2	-	मुतफरिफ	....	
मुतफरिफ	5	-	मीजान ...		

नोट-इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का, चाहे बिकरी के जरिये दिलाया गया हो वा नहीं दर्ज करता  
बाहिये।

रा. नं. को. 139-2006-1,00,000 कामं

13/12/20  
उपाखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी